



मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 368-69
भोपाल, दिनांक 24/03/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/1004/2019

आवेदक :-

मेसर्स आनन्द ऑफसेट प्रिंटर्स एंड
स्टेशनर्स, द्वारा श्री आनन्द जालौरी,
47, श्री बालाजी टॉवर, कोतवाली रोड,
भोपाल - 462021

विरुद्ध अनावेदक :-

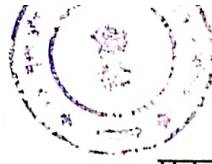
कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, (लोक सेवा,
ई-गवर्नैन्स) जिला- भोपाल- 462001

माध्यस्थम आदेश दिनांक :- 24 मार्च 2021

काउन्सिल के समक्ष आवेदक श्री आनन्द जालौरी, मेसर्स आनन्द ऑफसेट प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स, भोपाल द्वारा एमएमएमई एक्ट 2006 की धारा 20 सहपठित धारा 30 के अधीन अनावेदक कलेक्टर, भोपाल के विरुद्ध मूलधन राशि रुपये 3,02,885/- एवं अपाईन्टेड-डे दिनांक तक की 36,884/- ब्याज राशि रुपये तथा कुल भुगतान राशि 3,39,729/- वसूली हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2019 को प्रस्तुत किया गया।

- काउन्सिल द्वारा प्रकरण को एम.एस.ई.एफ.सी/1004/2019 पर दर्ज कर अनावेदक को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस क्रमांक 2691, दिनांक 30.10.2019 को जारी किया गया।
- प्रकरण, सुनवाई दिनांक 06.02.2021 को काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
- प्रकरण में आवेदक श्री आनन्द जालौरी मेसर्स आनन्द ऑफसेट प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स, भोपाल द्वारा सुनवाई दिनांक 06.02.2021 को उपस्थित होकर लिखित में अवगत कराया कि उसे अनावेदक कलेक्टर, भोपाल द्वारा समझौता अनुसार राशि का भुगतान हो चुका है। अतः मेरा प्रकरण समाप्त किया जाए। अतः आवेदक की सहमति के आधार पर प्रकरण समाप्त किया गया।





4. अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम-9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य उपरोक्तानुसार समझौता होकर, प्रकरण निराकृत होने से, एतद् द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

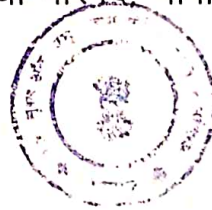
उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)

उद्योग आयुक्त एवं

अध्यक्ष,

म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।



(जी. एस. सरमा)

शासकीय सदस्य,

म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं

सहायक महाप्रबंधक,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिज)

शासकीय सदस्य,

म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं

सहायक प्रबंधक,

एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।